

क्र.सं.27

सू. म. लघु एवं मध्यम उद्योग

D-155
8-7-09

3957
01/07/09

Ph. EPA BX-23022220, 23022211, 23022212, 23022291 FAX: (01-1) 23022115, 23022116, 23061068, e-mail: dc-msme@nic.in, dcmsme@dcmsme.gov.in

5(6)/2009-MSME POL

Dated 12.6.2009

Subject: Categorization of activities under manufacture or service under the MSME Act 2006 - reg.

References were received by this office for clarification on categorization of activities under manufacturing or service. These were examined under the provisions of MSME Act 2006 and it is clarified:

A) Activities considered as Service:

- Consultancy Services including Management Services
- Renting of Agricultural Machinery (Harvesting)
- Composite Broker Services in Risk and Insurance Management
- Third Party Administration (TPA) Services for Medical Insurance Claims of Policy Holders
- Seed Grading Services
- Training-cum-Incubator Centre
- Educational Institutions
- Training Institutes
- Retail Trade
- Practice of Law i.e. legal services
- Trading in medical instruments (brand new)
- Placement and Management Consultancy Services
- Advertising agency and Training centres

3. This supercedes all earlier clarifications issued in this regard.

Yours faithfully,

(P.K. Sinha)
Dy. Director (MSME Pol.)

To

- Principal Secretaries/ Secretaries, I/c of matters of MSMEs, All States/UTs,
- Chairman, NABARD, Mumbai,
- Chairman & Managing Director, SIDBI, Lucknow,
- Chairman, Indian Bank Association, Mumbai,
- Dy. Governor, RBI, Mumbai,
- Chairman & Managing Directors, Commercial Banks and Financial Institutions including State Financial Corporations as per mailing list,
- Chairman & Managing Director, NSIC, New Delhi,
- Commissioner/Director of Industries/ I/c of matters of MSMEs, All States/UTs,
- Director/Dy. Director, I/c MSME DIs/ Br. MSME DIs, All States/UTs,
- President, Associations of MSMEs. as per mailing list.
- President, ICAI, P.B. No. 7100, ICAI Bhavan, IP Estate, New Delhi-110104

कार्यालय आयुक्त, उद्योग विभाग, उद्योग भवन,
तिलक मार्ग, राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक: एफ 15 (1) आयु.उ./ई.एम.अनु./एमएसएमई -नीति/2009 दिनांक: 23 JUL 2009
प्रतिलिपि: निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- महाप्रबन्धक, जिला उद्योग केन्द्र, समस्त।
- सहायक निदेशक/जिला उद्योग अधिकारी, जिला उद्योग उप केन्द्र, समस्त।
- फंक्शनल अधिकारी (मुख्यालय) समस्त।
- मास्टर फाइल

(P.K. Sinha)
July 23, 2009
संयुक्त निदेशक, उद्योग

सं० 5(6)/2/2009-एम एस एम ई नीति
भारत सरकार
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय
विकास आ्युक्त(सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम)का कार्यालय

निर्माण भवन, नई दिल्ली -110108
दिनांक 12 जून 2009

विषय: सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अंतर्गत क्रिया-कलापों का विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण ।

इस कार्यालय को क्रिया-कलापों को विनिर्माण या सेवा के अंतर्गत वर्गीकरण पर स्पष्टीकरण के लिए संदर्भ प्राप्त हुए हैं । इन सभी को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के प्रावधानों के अंतर्गत जाँचने के उपरान्त यह स्पष्ट किया जाता है:

A) Activities considered as Service:

- Consultancy Services including Management Services
- Renting of Agricultural Machinery (Harvesting)
- Composite Broker Services in Risk and Insurance Management
- Third Party Administration (TPA) Services for Medical Insurance Claims of Policy Holders
- Seed Grading Services
- Training-cum-Incubator Centre
- Educational Institutions
- Training Institutes
- Retail Trade
- Practice of Law i.e. legal services
- Trading in medical instruments (brand new)
- Placement and Management Consultancy Services
- Advertising agency and Training centres

2. यह स्पष्टीकरण प्राप्त सभी स्पष्टीकरणों का स्थान लेगा ।


(पी०के० सिन्हा)
उप निदेशक (सू०ल०म०उ० नीति)

- प्रधान सचिव/सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
- अध्यक्ष, मावार्ड, मुंबई ;
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी, लाहौर ;
- अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, मुंबई ;
- उप गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक, मुंबई ;
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वाणिज्य बैंक एवं वित्तीय संस्थान, राज्य वित्तीय निगम सहित-डाक सूचि अनुसार;
- अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एनएसआईसी, नई दिल्ली ;
- आयुक्त/निदेशक (उद्योग/सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मामलों के प्रभारी, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र ;
- निदेशक/उपनिदेशक प्रभारी, एमएसएमई डी आई/ राष्‍ट्र एमएसएमई डी आई, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र;
- अध्यक्ष, एमएसएमई एसोसिएशनस्, डाक सूचि अनुसार;
- अध्यक्ष, आई सी ए आई, प० ब० न० 7100, आई सी ए आई भवन, आई पी हस्‍स्टेट, नई दिल्ली - 110104

55